निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1944 (श0)

(सं0 पटना 499) पटना, बुधवार, 13 जुलाई 2022

सं० 4तक0 / DTD/उ0वि0 / प्र0स0को0 / AKIC / 01 / 2013 पार्ट–1 / 1144

उद्योग विभाग

संकल्प

24 मई 2022

विषयः– अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (AKIC) परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) की स्थापना हेतु उद्योग विभाग पत्रांक–1358, दिनांक–28.06.2021 से निर्गत स्वीकृत्यादेश के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित दिनांक–02.03.2021 के मद सं0–41 में शेष प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में।

अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (AKIC) परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो इर्स्टन डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (EDFC) के Back Bone पर आधारित है। प्रस्तावित AKIC सात राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी एवं इसकी लम्बाई 1839 किलोमीटर होगी। प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य में एक एक इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विकसित करने का प्रस्ताव है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नई दिल्ली द्वारा उक्त परियोजना हेतु National Industrial Coridor Development and Implementation trust (NICDIT) को कार्यान्वयन एजेन्सी नियुक्त किया गया है। औद्योगिक कोरीडोर के समेकित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा National Industrial Coridor Development and Implementation trust (NICDIT) का गठन किया गया है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य नामित किया गया है।

2. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच गठित होने वाले SPV के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी तथा 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी। राज्य सरकार द्वारा IMC के विकास के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि की कीमत, जिसमें अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की लागत एवं सरकारी भूमि की कीमत शामिल है, के समतुल्य राज्य सरकार की equity होगी उतनी ही राशि भारत सरकार Matching Grant के रूप में देगी।

3. IMC के लिए भूमि अधिग्रहण के पश्चात IMC का विकास राज्य सरकार तथा भारत सरकार के बीच गठित होने वाले SPV (Special Purpuse vehichle) के माध्यम से किया जाना है। SPV के गठन/शेयर होल्डिंग एग्रीमेन्ट (SHA) एवं स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट (SSA) के लिए बिहार सरकार की ओर से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (AKIC) परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA), पटना द्वारा किया जायेगा।

4. IMC के विकास के लिए SPV का गठन/SHA & SSA पर हस्ताक्षर नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा (SHA एवं SSA की प्रति संलग्न)।

5. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-02.03.2021 को मद संख्या-41 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 499-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in